5 रु. Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

C-893/51

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रक. /09 निगरानी 1124 -I/09

रामेश्वर दयाल पुत्र ज्वालाप्रसाद वैश्य निवासी ग्राम सिरसौद तह. करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

——— आवेदक

बनाम

1. रामदास पुत्र ज्वालाप्रसाद
2. श्रीमती गीतादेवी पत्नी स्व. जगदीश प्रसाद
3. सुधीर कुमार पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद
4. विवेक पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद
5. श्रीमती रशिम पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद पत्नी आलोक
6. रामनिवास पुत्र वंशी ——— डिलीट

निवासीगण ग्राम सिरसौद तह. करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

——— अनावेदकगण

एल.एस. धाकड़ एडवोकेट द्वारा आज दि. 20-8-09 को प्रस्तुत

अवर सचिव राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

20.8.09 L.S. Dhakad Adv.

2011 में मृत

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रक. 280/07–08/निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 29–07–09 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, ग्राम सिरसौद में स्थित भूमि खाता कं. 1/153, 2/689, 760, 34 एवं 232 के भूमि स्वामी आवेदक एवं अनावेदकगण थे। अनावेदकगणों द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण कं. 51/अ–27/06–07 इस आशय का प्रस्तुत किया कि, उक्त विवादित भूमि का बटवारा किया जाये तहसील न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारों को सूचना सुनवाई का अवसर दिया जाकर

R.1124-A/09 आयुक्त

5/8/16

आवेदक अधि० श्री. [illegible] उप/
अ.मा. [illegible] दिनांक [illegible] उप/
अना. [illegible] अना. 6 की भूमि का-
नामान्तरण पत्र किया था, आवेदक [illegible]
[illegible] अना. 6
को अवैध करने के आदेश दिये जाते हैं

2. प्रकरण तहसीलदार - न्यायालय-
का पुनरावलोकन किया जाता है [illegible]
[illegible] अवधि देते हुए उनके [illegible]
पक्ष को ~~[illegible]~~ [illegible] प्रस्तुत करने
का अवसर देते हुए, ~~[illegible]~~ प्रकरण का
निराकरण किया जावे

3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी [illegible]
[illegible] निराकृत की जाती है। पक्षकार-
सूचित हों

[signature]

अपर आयुक्त

[illegible]